कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
मथुरा।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–वरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एव सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 2933/14–1 दिनांक 08.02.2020 एवं विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। सन्दर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि विषयक कार्य हेतु 0.9537 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 22 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति विभिन्न शर्तो के साथ प्राप्त हुई है। प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो एवं आपके सन्दर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार सादर प्रेषित है :–

1. शर्त संख्या 01 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 597020.00 जमा करा दी गयी है। (संलग्नक–1)।
2. शर्त संख्या 02 के अनुपालन में वन विभाग को तहसील महावन परगना महावन ग्राम सभा मदौर के गाटा संख्या खसरा 2866व रकवा 21.591 है0 में से 0.9537 है0 भूमि जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के पत्रांक 918/सात0बी0/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16.05.2019 के माध्यम से वन विभाग हेतु आरक्षित कर दी गयी है। उक्त भूमि पर सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुरूप वृक्षारोपण हेतु रू0 1004900.00 की धनराशि जमा करायी जा चुकी हैं। जिसकी प्रति संलग्न है (संलग्नक–2)।
3. शर्त संख्या 03 के अनुपालन में अवशेष संरक्षित वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुरूप रू0 3548750.00 की धनराशि जमा करायी जा चुकी हैं। जिसकी प्रति संलग्न है (संलग्नक–3)।
4. शर्त संख्या 04 के क्रम में शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियॉ ऑनलाइन चालान जनरेट करते हुये जमा करायी जा चुकी है। ऑनलाइन ई–रसीद की प्रति सलग्न है (सलंग्लक–4)।
5. शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्र पर आवश्यक मक डिस्पोजल परियोजना पर व्यय करने हेतु वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक–5)।
6. शर्त संख्या 06 के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन न करने सम्बन्धी वचनबद्धता संलग्न है (संलग्नक–6)।
7. शर्त संख्या 07 के अनुपालन आख्या लोक निर्माण विभाग द्वारा दी जानी अपेक्षित नहीं है।
8. शर्त संख्या 08 के अनुपालन में परियोजना स्थल के आसपास के फ्लोरा/फोना (वन्य जीव) के संरक्षण हेतु वचनबद्वता सलंग्न है। (संलग्नक–7)।
9. शर्त संख्या 09 के अनुपालन में वचनवद्धता संलग्न है, कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा (संलग्नक–8)।
10. शर्त संख्या 10 के अनुपालन में वचनवद्धता संलग्न है, कि लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार वन सम्पदा को कोई क्षति नहीं पहुचायेगें। यदि वन सम्पदा को कोई क्षति पहुचती है तो निर्धारित प्रतिकर जमा किया जायेगा।(संलग्नक–9)।
11. शर्त संख्या 11 के अनुपालन में अवगत कराना है कि आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक निर्माण हेतु ली जा रही है। जिसको जनमानस के आवागमन हेतु उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे वन विभाग उ0प्र0 सरकार को शासकीय नियमों के अन्तर्गत यथास्थिति वापिस कर दिया जायेगा (संलग्नक–10)।
12. शर्त संख्या 12 के अनुपालन में अवगत कराना है कि पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिम कमेटी ऑफ नेशनल वोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके उपरान्त भी यदि वन विभाग द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है, तो उपरोक्त अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने की वचनवद्धता संलग्न है (संलग्नक–11)।
13. शर्त संख्या 13 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो के अनुपालन सम्बन्धी वचनबद्वता संलग्न है (संलग्नक–12)।

14. शर्त संख्या 14 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन आख्या दी जानी अपेक्षित नहीं है।
15. शर्त संख्या 15 के अनुपालन में एन0पी0वी0 संशोधित होने पर बढी हुई धनराशि जमा करने सम्बन्धी वचनवद्वता सलंग्न है (सलग्नक–13)
16. शर्त संख्या 16 के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वन विभाग द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है, तो उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी वचनवद्वता सलंग्न है (सलग्नक–14)
17. शर्त संख्या 17 के कम में वचनवद्वता सलंग्न है, कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही आरक्षित वन भूमि पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा (सलग्नक–15)
18. शर्त संख्या 18 के कम में वचनवद्वता सलंग्न है, कि याचक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/माननीय न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जायेगा (सलग्नक–16)
19. शर्त संख्या 19 के कम में वचनवद्वता सलंग्न है, कि याचक विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निदेश दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा (सलग्नक–17)
20. शर्त संख्या 20 के कम में सादर अवगत कराना है, कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्धित टोपोशीट, जीयो रिफरेन्स मैप प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही सलंग्न है।
21. शर्त संख्या 21 के कम में वचनवद्वता सलंग्न है, कि प्रभावित वृक्षों का पातन उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा। पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु नियमानुसार भुगतान याचक विभाग द्वारा वन निगम को किया जायेग (सलग्नक–18)
22. शर्त संख्या 22 के कम में सादर अवगत कराना है, कि जिलाधिकारी महोदय, मथुरा का वाछित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही सलंगन है।
23. शर्त संख्या 23 के कम में वचनवद्वता सलंग्न है, कि विषयगत मार्ग का विस्तार, "जिससे पुनः वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति आवश्यक हो" नहीं किया जायेगा। मार्ग के सुदृढीकरण के अन्तर्गत वर्तमान लेपित सतह की मरम्मत ही की जाती है, जिससे जनमानस को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध हो सके। मार्ग के सुदृढीकरण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। (सलग्नक–19)
24. शर्त संख्या 24 के कम में वचनवद्वता सलंग्न है, कि याचक विभाग द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो का अनुपालन किये जाने के पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति जारी की जाये। (सलग्नक–20)

उपरोक्त सम्पूर्ण अनुपालन आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें। चूँकि प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित है एवं कार्य को तत्काल पूर्ण कर उच्चाधिकारियों के समक्ष कार्य पूर्ण कर आख्या प्रेषित की जानी है। अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें, एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु तत्काल **Working Permission** जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

पत्रांक 460/c-3 दिनांक 15-2-2020

1. प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय मथुरा को सादर अवलोनार्थ
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) प्रा0ख0 लो0नि0वि0 मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

15/2/2020

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा
Provincial Division, PWD, Mathura
E-mail : exerpwdmtr@gmail.com

जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
Collectrate Compound,
सिविल लाइन, मथुरा–281001
Civil Line, Mathura-281001
Phone No.- 0565-2471431

पत्रांक : 1912 / C-22

दिनांक : 18-8-2020

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
मथुरा

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगॉव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिलावन तक मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– वन संरक्षक आगरा वृत आगरा का पत्रांक 2863/14–1 दिनांक 19.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयक कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या में कुछ आपत्तियां लगाई गयी है। सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगाई गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में इस खण्ड की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार सादर प्रेषित है।

1. बिन्दु संख्या 01 (शर्त संख्या 02) के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद मथुरा की तहसील/परगना महावन के ग्राम सभा मादौर के गाटा/खसरा संख्या 2866व रकवा 21.591 हे0 में से 0.9537 हे0 गैर वन भूमि जिलाधिकारी महोदय मथुरा के आदेश संख्या 918/सात–बी/भू0 व्य0/2018–19 दिनांक 16.05.2019 संशोधन आदेश संख्या 1577/ सात–बी/भू0 व्य0/2019–20 दिनांक 27.02.2020 एवं संख्या 111/ सात–बी/भू0 व्य0/2020–21 दिनांक 07.08.2020 के माध्यम से वन विभाग के लिए आरक्षित कर दी गयी है। उपरोक्त समस्त आदेश एवं भूमि को वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद कराकर राजस्व विभाग से सम्बन्धित खसरा खतौनी आपके कार्यालय मे उपलब्ध करा दी गयी है।
2. बिन्दु संख्या 02 (शर्त संख्या 05) की बचनबद्धता पुनः संलग्न है।
3. बिन्दु संख्या 03 (शर्त संख्या 06) की बचनबद्धता पुनः संलग्न है।
4. बिन्दु संख्या 04 के क्रम में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन के अन्तर्गत आपके द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोट (जिसे नोडल अधिकारी लखनऊ द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् चालान बनाया गया) के क्रम में रू. 238808.00 का भुगतान किया जा चुका है। जिसकी रसीद भी पूर्व में ही आपके कार्यालय में उपलब्ध करायी जा चुकी है।

संलग्न –: उपरोक्तानुसार।

(मनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मथुरा।

पत्रांक : 1912 / C-22

दिनांक : 18-8-2020

1. प्रतिलिपि वन संरक्षक आगरा वृत आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मथुरा।

सलग्नक - 1, 2, 3 व 4.

(1/2)

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

Help

Click on **Generate Challan** to generate challan.

- **Paid** : This icon shows that the payment has been deposited.
- **To be Paid** : This icon shows that the payment of this yet to be made.
- **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.

Proposals received on or after 15th July 2014 **All Proposals received upto 14th July 2014**

Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action
P/UP/ROAD/19772/2016	ROAD197722016440	6119772440	Proposed Reserve Forest Land for Strengthening & Widening of Kokilavan Road (Total KM 1.993km) in Mathura City	Road	0.9537	PRO DIVISION P W D MATHURA	14-10-2016	12-2-2020	
P/UP/ROAD/37882/2018	ROAD378822018815	6137882815	Reserve/Protected forest Land proposed for Construction Road for Govardhan Piligrims around Giriraj Parvat(Radhakund Bypass Road) from Ch.0.00 to 10.400 falling ch. in forest land 5.510 to 5.558(Reserved 0.0864Hect.) & Protected forest land from ch.0.00 to 0.0012,10.39745 to 10.400(0.0045Hect.) in District. Mathura (UP)	Road	0.0909	PRO DIVISION P W D MATHURA	13-12-2019	31-12-2019	
P/UP/ROAD/19267/2016	ROAD192672016249	113192672016249	Protected Froest Land Proposed to be Diverted for Road Widening and Strengthening from Gokul Restaurant to Masani Chauraha From Ch 139.400 to 141.865 in Mathura Forest Division,District Mathura	Road	2.758	PRO DIVISION P W D MATHURA	02-5-2017	11-5-2017	
P/UP/ROAD/19032/2016	ROAD190322016769	113190322016769	Proposed Protected Forest Land for Strengthening & Widening of Road from Govardhan Chauraha to Bhooteshwar in Mathura District	Road	0.55	PRO DIVISION P W D MATHURA	17-10-2016	27-1-2017	

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) (HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.

GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
rms & Conditions (https://parivesh.nic.in/TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (https://parivesh.nic.in/Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy
tps://parivesh.nic.in/CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (https://parivesh.nic.in/HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement
tps://parivesh.nic.in/Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (https://parivesh.nic.in/Disclaimer.aspx) | Contact Us (https://parivesh.nic.in/contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring fc(at)nic(dot)in

संलग्नक - 1, 2, 3 व 4.

2/2

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

D.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail
	FP/UP/ROAD/19772/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/19772/2016) Proposed Reserve Forest Land for Strengthening & Widening of Kokilavan Road (Total KM 1.993km) in Mathura City	ROAD197722016440	6119772440	14 Oct 2016	CA: 1004900/- , Addl CA : 3548750/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 597020/- , Penal Net Present Value (NPV) : 238808/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5389478/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 12 Feb 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Feb 2020 Transaction Date : 14 Feb 2020

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

कार्यालय जिलाधिकारी , मथुरा ।

संख्या 918 /सात–बी/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16-5- 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ व्दारा निर्गत शासनादेश संख्या 68/3–2(6)/1979–रा0 –1 दिनांक 05–9–1986 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 व्दारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/16(1)–1973–राजस्व–1 दिनांक 16–6–1981 व्दारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै सर्वज्ञ राम मिश्र, जिलाधिकारी, मथुरा संलग्न सूची में उल्लिखित भूमि जो अभी तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 05–9–1986 के अनुसार सूची के स्तम्भ–5 में अंकित ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी फिर से मैं अपने अधिकार में लेता हूँ ।

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गाव/ग्राम सभा का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन) जिसके लिए भूमि पुर्नग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा	महावन	महावन	मादौर	खसरा सं0–2866य	रकबा 21.591है0 में से 0.9537है0	श्रेणी–5–1 कृषि योग्य भूमि नई परती (परती जदीद) (कृषि योग्य बजर)	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (परियोजना वर्ग) के मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय–1) लो0 नि0 वि0 लखनऊ के पत्रांक 958/पी0जे0–11/20पी0जे0 (13)/13 दिनांक 25–3–15 व्दारा मा0 मुख्यमंत्री जी व्दारा जनपद मथुरा में दिनांक 11.3.15की घोषणा के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार कोसी नन्दगांव मार्ग से कोकिलावन पहुच मार्ग को फोर लेन निर्माण लोक निर्माण विभाग व्दारा किये जाने के कम में 0.9537है0 वन विभाग की आरक्षित वन भूमि को प्रयोग किया जाना है , इस आरक्षित वन भूमि के बदले 0.9537है0 गैर वन भूमि, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग,मथुरा व्दारा प्रेषित पत्रांक 2371दिनांक 15–2–2019के द्वारा उक्त भूमि का मांगे जाने के कम में ग्राम सभा मादौर का प्रस्ताव व उपजिलाधिकारी महावन के पत्र दिनांक 19–1–19 की संस्तुति एवं पुर्नग्रहण के प्रकरणों में जिला स्तर पर बनाई गई समिति सदस्य श्री राहुल यादव, डिप्टी कलैक्टर, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी मथुरा एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मथुरा की संस्तुति दिनाक 08–5–2019 के आधार पर उक्त घोषणा के अनुरुप जनहित में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु तहसील महावन स्थित राजस्व ग्राम मादौर के खाता संख्या 1338 खसरा संख्या 2866य रकबा 21.5910 है0 में से 0.9537है0 भूमि को प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी,वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिया जाना ।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

1–सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ।
2–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3–विशेष सचिव,लोक निर्माण अनुभाग–2 उ0प्र0शासन,लखनऊ।
4–प्रमुख अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, (परियोजना वर्ग)लखनऊ।
5–आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा ।
6–मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, आगरा क्षेत्र ,आगरा।
7–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा।
8–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0मथुरा ।
9–तहसीलदार महावन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराकर उद्धरण नकल खतौनी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा कब्जा हस्तान्तरित कर दखल की प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
10–तहसीलदार छाता को इस निर्देश के साथ कि तहसील छाता के राजस्व ग्राम स्थित बठैनकलॉ के खसरा संख्या 351,352,353 भाग 1967भाग, 1978, 1979मि0, 1966 तथा 1995 में कुल 145एकड वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में से 0.9537है0 जो लो0नि0वि0मथुरा व्दारा सडक निर्माण में प्रयोग हो रही है को राजस्व अभिलेखों में "सरकारी सडक "लो0नि0वि0के नाम अमदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराकर उद्धरण नकल खतौनी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0प्रान्तीय खण्ड, मथुरा कब्जा हस्तान्तरित कर दखल की प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ।

जिलाधिकारी,
मथुरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा ।

(जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग)

संख्या 1517 /सात–बी/भू0व्य0/2019–20 दिनांक 27/2/ 2020

तहसीलदार

छाता

विषय : जनपद मथुरा की तहसील महावन स्थित ग्राम मादौर के गाटा संख्या 2866व रकवा 21.591 है0 में से 0.9537 है0 भूमि को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपरण हेतु दिया जाना ।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या 918/सात–बी /भू0व्य0/ 2018–19 दिनांक 16–5–2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत उपरोक्त आदेश पत्र के कमांक 10 पर आपको तहसील छाता के राजस्व ग्राम बठैनकलां के खसरा संख्या 351, 352, 353 भाग 1967 भाग, 1978, 1979 मि0 1966 तथा 1995 में कुल 145 एकड़ वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में से 0.9537 है0 भूमि) जो लो0नि0वि0 मथुरा द्वारा सड़क निर्माण में प्रयोग हो रही है, को राजस्व अभिलेखों में सरकारी सड़क लोक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराने हेतु आपको निर्देशित किया गया था ।

उपरोक्त निर्देशों में **आंशिक संशोधन** करते हुए आपको पुनः निर्देशित कियां जाता है कि **"राजस्व ग्राम बठैनकलां के खसरा संख्या 351, 352, 353 भाग 1967भाग, 1978, 1979 मि0 1966 तथा 1995 में कुल 145 एकड़ वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि में से 0.9537 है0 भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में अमलदरामद नहीं कराया जाना है ।** लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भूमि पर केवल सड़क निर्माण कार्य किया जायेगा । **भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना है । "** तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी
मथुरा

प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा को उनके पत्र संख्या 521/सी–1 दिनांक 19–2–2020 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी
मथुरा

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

संख्या 111 /सात–बी/भू0व्य0/2020–21 दिनांक 7-8- 2020

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व निर्गत आदेश संख्या 918/सात–बी/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16–5–2019 के अंतर्गत जनपद मथुरा की **तहसील महावन के ग्राम मादौर में खसरा संख्या 2866व रकवा 21.591 है0 में से 0.9537 है0 भूमि** का पुनर्ग्रहण करते हुए कालम संख्या 9 में उक्त भूमि को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने संबंधी आदेश जारी किया गया था जबकि इस आदेश के कालम संख्या–9 में वन विभाग **के लिये** आरक्षित का अंकन होना था ।

अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 918/सात–बी/भू0 व्य0/2018–19 दिनांक 16–5–2019 के कालम 9 में आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त कालम में अंकित शब्द प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने के स्थान पर "**वन विभाग के लिये आरक्षित** "पढ़ा जाये ।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा

प्रतिलिपिः–

1–सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ।
2–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ।
3–अधीक्षण मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
4–प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा।
5–तहसीलदार महावन को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124208202008193

ग्राम क्रमांक : 124208 ग्राम का नाम / परगना : मादौर(बल्देव) तहसील : महावन जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------2--------------------	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 5-1 / कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद)							
01338	कृषि योग्य बंजर / /		320	0.5430			मथुरा दुण्डला पाइप लाइन उपयोग हेतु ख.1358घ/ 0.186/1375/ 0.0854
			695ख	0.2230			
			800क	0.0650			
			836	0.1780			ह0ले0 3-9-02
			837	0.1130			
			838	0.1010			
			839	0.2140			उपजिलाधिकारी महोदय महावन के आदेश दिनांक 10.09.2018 के क्रम में खाता संख्या 1358 खसरा संख्या 2424ख/8.072, 2431मि/0.574, 2476ढ/9.415 कुल 3 किता रकबा 18.061है0 नोइयत बेहद व खाता संख्या 1338 खसरा संख्या 1463क/3.096, 2432/0.251,
			840	0.1780			
			841	0.0450			
			842	0.0610			
			872क	0.1420			
			875	0.4740			
			880	0.4700			
			886क	1.1880			
			887	0.0400			
			889	0.0280			
			943ख	0.1090			
			968	0.1740			

			973क	0.0160			2437घ/1.181, 2449/0.388, 2476ट/0.720, 2866मि/3.000है0 कुल 6 किता रकवा 8.636है0नोइयत कृषि योग्य बंजर दोनो खातो मे 9 किता रकवा 26.597है0 ग्राम समाज की जमीन वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को 10 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त पर आरक्षित की जाती है कि 10 वर्ष बाद मय वृक्षारोपण वन विभाग भूमि को ग्राम सभा के लिए हस्तान्तरित करेगा। ह0आर0के0 18.09.2018
			975	0.0810			
			976ख	0.4490			
			977	0.0930			
			978ज	0.5260			
			1012क	0.1420			
			2323ख	0.2920			
			1075	0.0040			
			1076	0.0730			
			1081	0.0360			
			1085	0.1090			
			1201	0.0240			
			1275	0.0610			
			1276	0.0730			
			1325	0.0490			
			1326	0.1380			
			1341	0.4040			1426क व आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय महावन दि0 17.01.2019 के क्रम में मौजा मादोर के ख0स0 2424ख /8.072 व 2431मि/0.574 व 2476ड/9.415है0 कुल 3 किता रकवा 18.061है0 दर्ज कागजात बेहड व ख0स0 1463क/3.096 व 2432/0.251 व 2437घ/1.181 व 2449/0.388 व
			1346ग	0.0240			
			1349,ग	0.0850			
			1356	0.0810			
			1358क,मि	0.5240			
			1375ग	0.5300			
			1401	0.1660			
			1418ज	1.0190			
			1461ग	2.4610			
			1463क	3.0960			
			1472ख	1.5620			
			1479ग	2.9710			
			1623ख	0.7470			

			1633ग	0.0120			2476ग/0.720 व 2866ब/3.000है0 कुल 6 कित्ता रकबा 8.636है0 दर्ज कागजात बंजर कुल सम्पूर्ण रकवा 26.697है0 को वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को प्रस्ताव पारित किया जाता है। किन्तु उक्त भूमि पर स्वामित्व ग्राम सभा का ही रहेगा। ह0आर0के0 17.01.2019
			1709	0.1210			
			1734	0.0400			
			1767	0.2060			
			1736	0.0400			
			1770ख	1.1620			
			1849	0.0850			
			1750	0.0610			
			1891	0.2470			
			1892	0.0120			
			1893	0.6400			
			2342ग	0.8090			1426फ व कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्रांक सं.918/सात-बी/भू.व्य./2018-19 दि.16.5.19 के अनुसार ग्राम मादौर के खसरा सं. 2866 व रकवा 21.591 हे. में से 0.9537हे. को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपड हेतु पुर्न:गृहीत की जाती है। ह.र.का.28.5.19
			2343	0.1010			
			2350क	0.1380			
			2351	0.0690			
			2358ख	0.0320			
			2366	0.0890			
			2367	0.0850			
			2369	0.1130			
			2370	1.0560			
			2418ग	0.0120			
			2423ख	0.2060			
			2427ग	0.5300			
			2429ख	0.1420			1427फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय दि.23.10.19 के क्रम में गोर्वधन परिक्रमा मार्ग में तीर्थयात्रियों एवं ट्रैफिक को नियंत्रित करने हेतु
			2430घ	0.0690		कम्प्यूटरीकरण ... (मथुरा)	
			2432	0.2510			
			2433ख	0.0120			
			2434	0.2550			
			2435	0.0360			

			2436	0.1130			गिरिराज जी के चारो ओर वाह्य परिक्रमा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के निर्माण मे प्रभावित 0.0864 हे. अरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे गैर वनभूमि के निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को दिये जाने हेतु ग्राम सभा मांदौर का प्रस्ताव व उप जिलाधिकारी महावन के पत्र दि.30.9.19 की संस्तुति एवं पुर्नग्रहण के प्रकरणो मे जिला स्तर पर बनाई गई समिति सदस्य प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय मथुरा अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) /जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी मथुरा तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) के अभिमत के आधार पर उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु तहसील महावन स्थित राजस्व ग्राम मांदौर के खाता सं.1338 खसरा सं.2866व रकबा 21.591 हे मे से रकबा 0.0864 हे.भूमि को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा हेतु दर्ज हो। ह.र.का.26.10.19
			2437घ	1.1810			
			2438	0.0890			
			2439	0.0850			
			2440	0.0120			
			2441	0.0400			
			2442	0.0240			
			2443	0.0360			
			2444	0.0650			
			2445	0.0400			
			2446	0.0120			
			2447	0.0080			
			2448	0.4500			
			2449	0.3880			
			2450	0.1050			
			2451	0.1820			
			2452	0.0810			
			2453	0.3520			
			2454	0.0280			
			2455	0.0810			
			2456	0.0400			
			2457	0.0570			
			2458	0.0450			
			2459	0.0240			
			2460	0.0490			
			2461	0.0160			
			2462	0.0080			
			2463	0.0610			
			2464	0.0490			

			2465	0.0280			1427फ व आदेश उप जिलाधिकारी महावन दि.25.1.2020 के क्रम में भू.प्र.स.मादौर ने दि.17.1.2020 को एक आवश्यक बैठक कर मौजा मादौर के खसरा सं.2866व रकबा 21.591 हे. में से 14.00 हे. व खसरा सं. 1418ज /1.019 व 1461ग/2.461 व 1479ग/2.971 व 1770/1.162 व 2370/1.056 कुल 6 किता रकबा 22.669 हे. कृषि योग्य बंजर व खसरा संख्या 1477/0.860, 1479/1.469, 2426ख/3.992 व 2342/1.077 कुल 4 किता रकबा 7.398 हे. नवीन परती कुल क्षेत्रफल 30.067 हे. मथुरा डीग मार्ग व कोसी,नन्दगॉव , बरसाना व राया मथुरा (यमुना एक्सप्रेसवे) को फोरलेन व चौड़ीकरण हेतु वन विभाग के वृक्षो के बदले नये वृक्ष लगाने हेतु 30.067 हे. भूमि दस वर्ष के लिये केवल वृक्षारोपड़ हेतु प्रस्तावित किया गया है इस उक्त
			2466	0.0970			
			2467	0.0850			
			2468	0.1300			
			2469	0.0490			
			2470	0.0320			
			2471	0.0200			
			2472	0.0040			
			2473	0.0320			
			2474	0.0200			
			2475	0.0890			
			2476ल	0.7200			
			2506	0.0650			
			2507	0.0360			
			2508	0.0770			
			2519	0.0570			
			2520	0.0610			
			2521	0.0850			
			2522	0.0040			
			2523	0.0040			
			2524	0.0080			
			2525	0.0730			
			2526	0.0080			
			2540	0.0200			
			2541	0.0200			
			2542	0.0360			
			2545	0.0120			
			2545	0.0120			
			2552	0.0080			

			2557 2559 2561 2563 2565क 2568 2577 2583 2584 2595ख 2600 2836 2837 2838 2884 2888 2889फ 2919ख 1920 682मि 946ख 2518 2566 2570क 2866व 2873 2903 1747मि	0.0160 0.0450 0.0200 0.1010 0.2100 0.0610 0.0890 0.0730 0.0530 0.1660 0.0730 0.0360 0.0730 0.1360 0.0280 0.0200 0.0040 0.0080 0.0320 0.2420 0.4050 0.0320 0.0280 0.0400 21.5910 0.1460 0.0650 0.5750			भूमि का स्वामित्व ग्रामसभा का रहेगा। दर्ज हो। ह.का. 25.1.2020 1428फ कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्र संख्या-111/सात-बी/भू0व्य0 /2020-21 दिनांक 07.08.2020 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे निर्गत आदेश संख्या-918/सात-बी0/भू0व्य0 /2018-19 दिनांक 16.05.2019 के कॉलम-9 मे आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त कॉलम मे अंकित शब्द प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा को वृक्षारोपण हेतु दिये जाने के स्थान पर " वन विभाग के लिये आरक्षित" पढ़ा जाये दर्ज हो ह0आर0के0 07.08.2020
			162	56.7940	₹ 0.00	0	8

कुल गाटे- एक छ: दो   कुल क्षेत्रफल- पाँच छ: दशमलव सात नौ चार शून्य (हेक्टेयर)   कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: NEHA GUPTA उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।	सक्षम अधिकारी: SHAILENDRA KUMAR तहसील: महावन जनपद: मथुरा दिनांक एवं समय: 11-08-2020 02:01:25 यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

भूमि कब्जा प्रमाण–पत्र

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 0.9537 है0 गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 की पत्र संख्या–पी–142/14–2–2016–800 (136)/2016, दिनांक 14.10.2016 की शर्त संख्या–2 के अनुपालन में जिलाधिकारी, मथुरा की पत्र संख्या–918/सात–वी/भू0व्य0/2018–19 दिनांक 16.05.2019 के द्वारा समतुल्य भूमि ग्राम सभा मादौर, परगना–महावन, तहसील–महावन, जिला–मथुरा के गाटा संख्या–2866घ के रकबा 21.591 है0 में से 0.9537 हे0 भूमि का कब्जा आज दिनांक 22.05.2020 को लोक निर्माण विभाग के श्री राकेश कुमार, जूनियर इंजीनियर, श्री आर0पी0 सिंह, सहायक अभियन्ता, श्री कुँवर आशीष, अवर अभियन्ता, वन विभाग के श्री प्रवीण तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, बल्देव श्री जीतेश यादव, वनदरोगा एवं श्री महेन्द्र सिंह, वनरक्षक तथा राजस्व विभाग श्री चुन्नी लाल, लेखपाल, श्री राजेन्द्र, लेखपाल, श्री ओमपाल यादव, कानूनगो एवं तहसीलदार महावन श्री सुभाषचन्द्र यादव के द्वारा नपत कर वन विभाग को कब्जे में दी गई ।

कब्जा देने वाले भूमि की जी0पी0एस0 रीडिंग

N-27°16'27.0"
E-77°57'47.0"

N-27°16'20.0"
E-77°57'49.0"

N-27°16'15.0"
E-77°57'50.0"

N-27°16'17.0"
E-77°57'53.0"

कब्जा देने वाले

1–श्री चुन्नी लाल
लेखपाल

2–श्री राजेन्द्र
लेखपाल

3–श्री ओमपाल यादव
कानूनगो,

4–श्री सुभाषचन्द्र यादव,
तहसीलदार–महावन ।

22.05.2020

कब्जा प्राप्त करने वाले

1–श्री महेन्द्र सिंह,
वनरक्षक

2–श्री जीतेश यादव,
वनदरोगा

3–श्री प्रवीण तिवारी,
क्षेत्रीय वन अधिकारी, बल्देव ।

समक्ष

(राकेश कुमार)
जूनियर इंजीनियर

(आर0पी0सिंह)
सहायक अभियन्ता

(कुँवर आशीष)
अवर अभियन्ता

CS Scanned with CamScanner

ज़ो० च० आकार-पत्र ४१

८२८

(नियम ६३)

तुलनात्मक नक्शा (... मुताबिक)

गांव ... मादौर ... परगना ... महावन ... तहसील ... महावन ... जिला ... मथुरा ...

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुराना संख्या	क्षेत्रफल	नई खाता खतौनी संख्या	मृदा ... का भूमि श्रेणी (Soil Class)	सिंचाई का साधन	विशेष ब्योरा
२८६४	०.२५	६४९२	०.२५	६८५	एकफसली	असिंचित	
२८६५	०.७७	६४९७	०.७७	६३५	एकफसली	—	नलकूप ...
२८६६ क	३२३.२३	६३४३/१	१.०३	१०६	एकफसली	असिंचित	
ख		६३४३/१	१.८६	८९६	एकफसली	असिंचित	
ग		६३४३/१	३.५२	५२८	एकफसली	असिंचित	
घ		६३४३/१	५.७४	५१७	एकफसली	असिंचित	
ङ		६३४३/१	१०.३६	४३	एकफसली	असिंचित	
च		६३४३/१	०.७४	१२०	एकफसली	असिंचित	
छ		६३४३/१	२.००	१४४	एकफसली	असिंचित	
ज		६३४३/१	५.८६	५१९	एकफसली	असिंचित	
झ		६३४३/१	८.६५	६१५	एकफसली	असिंचित	
ञ		६३४३/१	०.२६	८६	एकफसली	असिंचित	
ट		६३४३/१	६.३७	२५८	एकफसली	असिंचित	
ठ		६३४३/१	०.५६	३६०	एकफसली	असिंचित	
ड		६३४३/१	५.६६	४६२	एकफसली	असिंचित	
	३२३.६०	६३४३/१					
		६३४३/१	कृषिक			अकृषिक	

असिंचित ३२३.४८   ग्रा०स०   अकाबिल ०.१९९

प्रमाणित प्रतिलिपि

तहसीलदार
महावन (मथुरा)

सी० एच० फार्म ४१

(नियम ६१)

625

ग्राम ... मांट ... परगना ... (...)

राया ... जिला ... मथुरा

नम्बर	मुकाम	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	नई खाता (खतौनी) संख्या	मिट्टी (Soil Class)	सिंचाई के साधन	कैफियत
ढ		५३५४३/१	९.७६	५२६	प्रकारकाली	असिंचित	
ण		५३५४३/१	८.७६	४२१	प्रकारकाली	असिंचित	
त		५३५४३/१	०.५४	६७१	प्रकारकाली	असिंचित	
थ		५३५४३/१	१.७३	६८४	प्रकारकाली	असिंचित	
द		५३५४३/१	८.९७	५२६	प्रकारकाली	असिंचित	
ध		५३५४३/१	२.६६	१२२	प्रकारकाली	असिंचित	
न		५३५४३/१	८.८२	७२१	प्रकारकाली	असिंचित	
प		५३५४३/१	०.४४	८५०	प्रकारकाली	असिंचित	
फ		५३५४३/१	०.४३	८३५	प्रकारकाली	—	नवीन परती
ब		५३५४३/१	[illegible]	७३४	प्रकारकाली	—	बंजर
भ		५३५४३/१	०.६३	७३२	प्रकारकाली	—	जमुनाबी
म		५३५४३/१	०.९३	७४०	प्रकारकाली	—	रस्ता
य		५३५४३/१	३३.३२	५४१	प्रकारकाली	—	बेहड़

तहसीलदार
महावन (मथुरा)

राजकुमार
लेखपाल
तहसील-महावन जिला-मथुरा

चकबन्दी कर्ता के हस्ताक्षर

सहायक चकबन्दी के हस्ताक्षर

चकबन्दी लेखपाल के हस्ताक्षर

विशेष। यदि—स्तम्भ ५ नई खतौनी तैयार हो जाने पर भरा जायगा।

जोत चकबन्दी आकार पत्र–४५

(नियम ४७)

जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा २७ के अधीन तैयार की गई खतौनी

गाँव .... मांट .... परगना .... महावन .... तहसील .... महावन .... जिला .... मथुरा

खतौनी खाता की क्रम संख्या	खातेदार का नाम पितृ नाम तथा निवास स्थान	जोत प्रारम्भ होने का वर्ष	नई गाटा संख्या	क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	कृषि योग्य बंजर		२६९७	०-१५		
			२६८६ग	२-९०		
			२६८८	०-२२		
			२६८७	०-८०		
			२८३६	०-०७		
			२८३७	०-१८		
			२८३८	०-३२		
			२८६६क	१२७ [illegible]		
			२८६६	०-४०		
			२८६८क	०-१०		
			२८६७	०-०७		
			२८६०	०-४०		
			२८६१	०-३६		

तहसीलदार
महावन (मथुरा)

राजकुमार (लेखपाल)

दयाल प्रेस, छीपीटोला, आगरा   फोन : ७३६०१

नक्शा नजरी ग्राम-मांट तह०-महावन जनपद-मथुरा
बावत खसरा सं. 2066 व क्षेत्र 0-9537 हे० हेतु

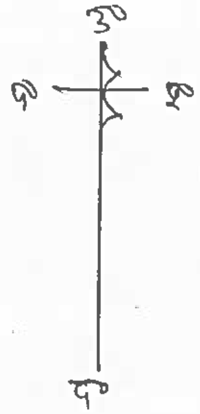

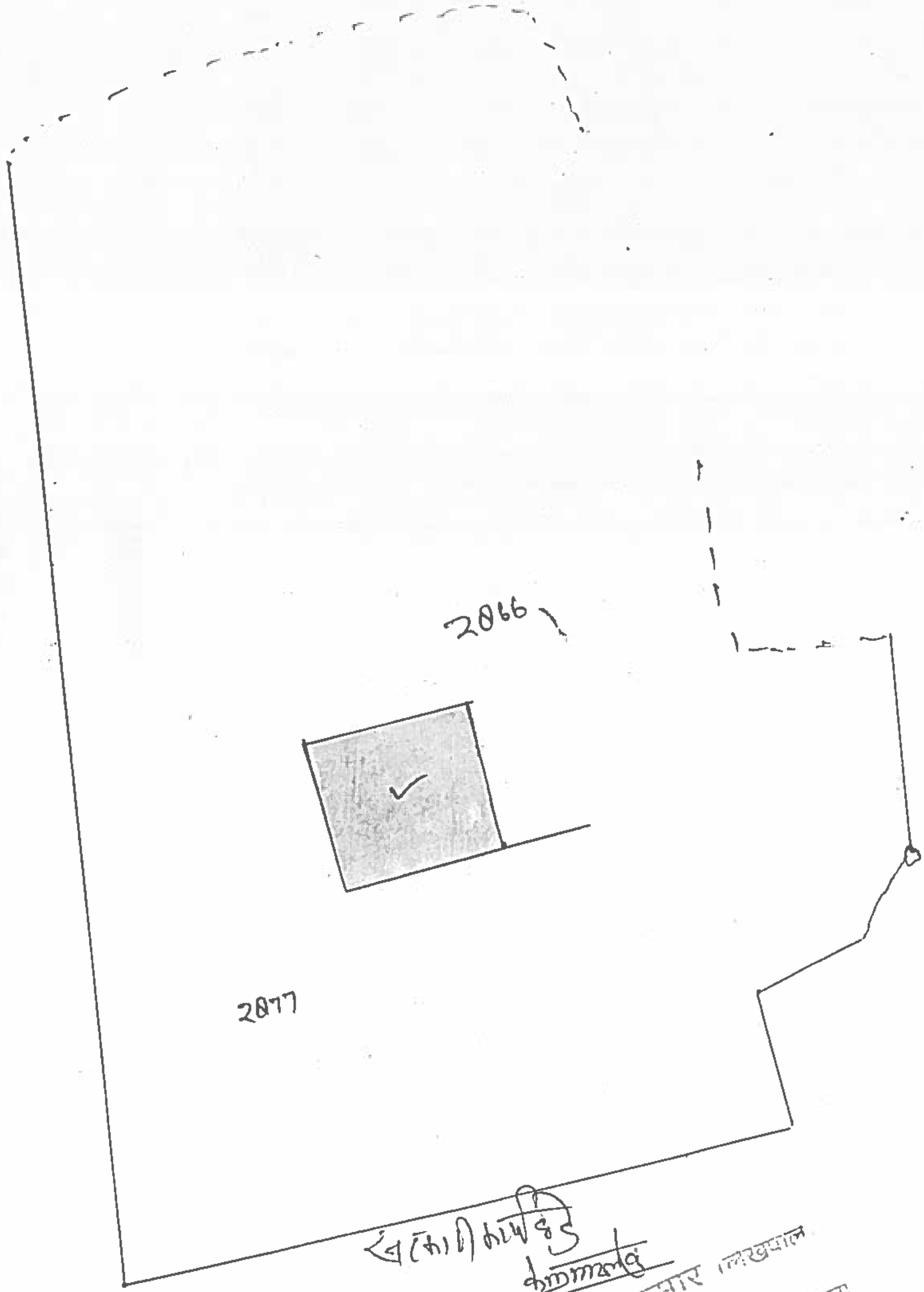

ह० (अपठनीय)

राजकुमार लेखपाल
क्षेत्र....मांट
तहसील-महावन जिला-मथुरा

Georeferenced Map Of Reserved Forest Land For Compensatory Afforestation (CA) Plantation in Forest Block: Madaur, District : Mathura, Against Proposed forest land to be diverted for Widening and Strengthening of Kokilavan Road (1.993Km) in District: Mathura. (Uttar Pradesh)

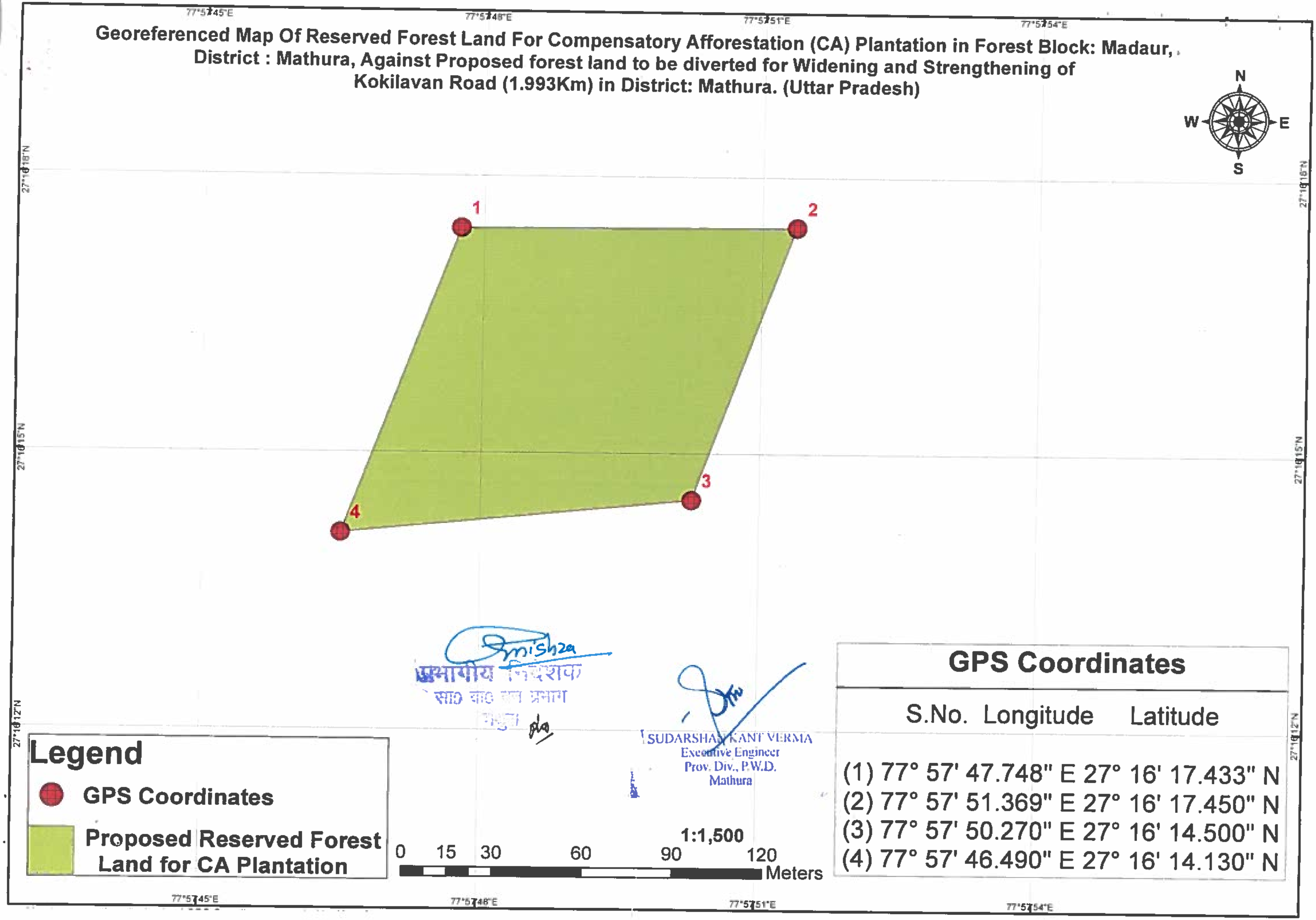

SUDARSHAN KANT VERMA
Executive Engineer
Prov. Div., P.W.D.
Mathura

GPS Coordinates

S.No.	Longitude	Latitude
(1)	77° 57' 47.748" E	27° 16' 17.433" N
(2)	77° 57' 51.369" E	27° 16' 17.450" N
(3)	77° 57' 50.270" E	27° 16' 14.500" N
(4)	77° 57' 46.490" E	27° 16' 14.130" N

Proposed Reserved Forest Land For Compensatory Afforestation (CA) Plantation in Forest Block: Madaur, District : Mathura, Against Proposed forest land to be diverted for Widening and Strengthening of Kokilavan Road (1.993Km) in District: Mathura (Uttar Pradesh)

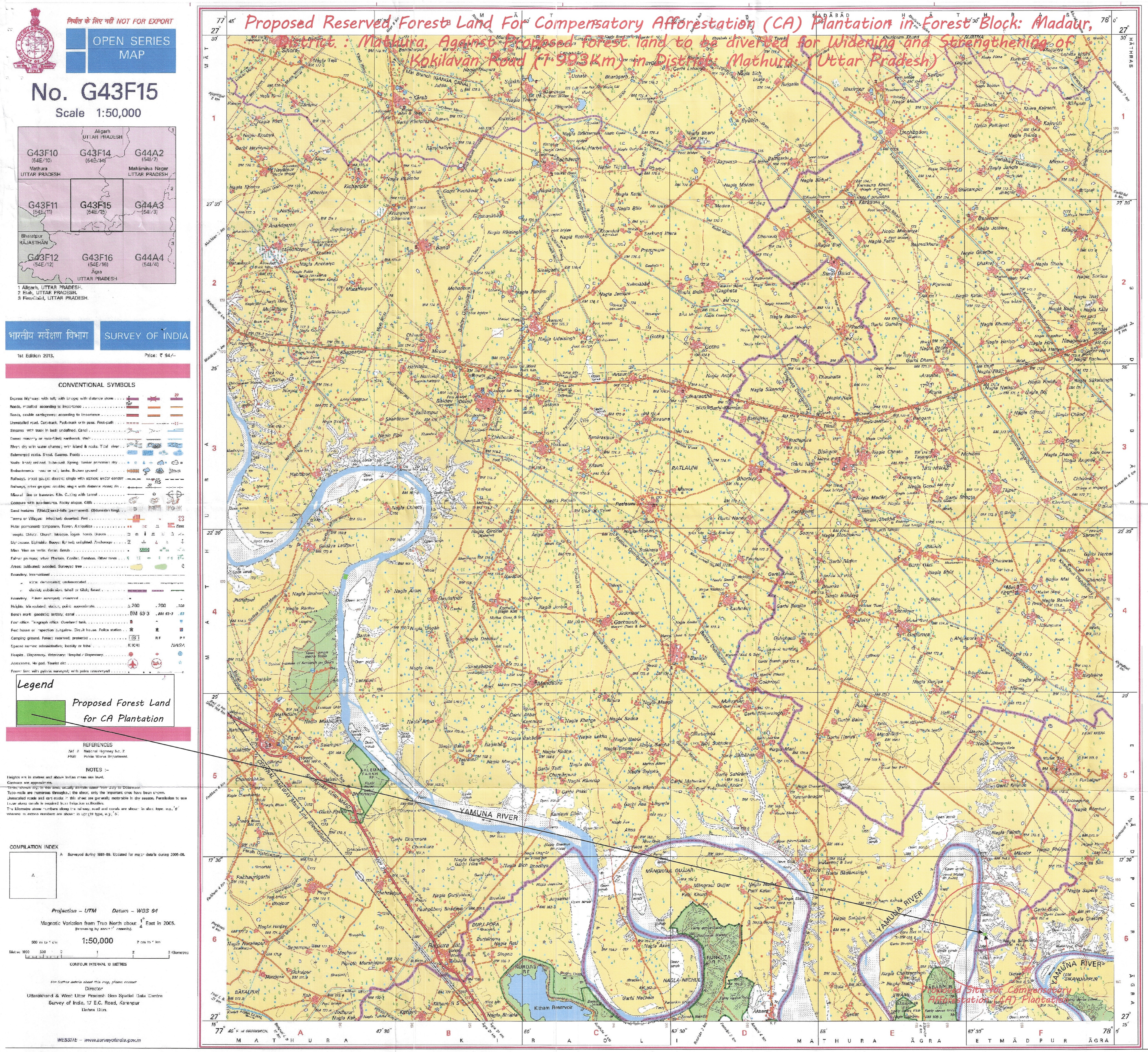

सलग्नक–05

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

मक डिस्पोजल परियोजना पर व्यय करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन क्षेत्र हेतु नियमानुसार गठित मक डिस्पोजल परियोजना पर याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा व्यय किया जायेगा।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा
Provincial Division, PWD, Mathura
E-mail : exerpwdmtr@gmail.com

जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
Collectrate Compound,
सिविल लाइन, मथुरा–281001
Civil Line, Mathura-281001
Phone No.- 0565-2471431

मक डिस्पोजल योजना पर व्यय करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगॉव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिलावन तक मार्ग का चौडीकरण्ण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग'2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2018–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016 के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा स्वीकार की जाती है।

(सत्यवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मथुरा।

संलग्नक–6

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

बैधानिक स्थिति में परिवर्तन न करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा वन भूमि की बैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

15/1/20

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मथुरा
Provincial Division, PWD, Mathura
E-mail : exerpwdmtr@gmail.com

जिलाधिकारी कार्यालय परिसर
Collectrate Compound,
सिविल लाइन, मथुरा–281001
Civil Line, Mathura-281001
Phone No.- 0565-2471431

बैधानिक स्थिति में परिवर्तन न करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगॉव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिलावन तक मार्ग का चौडीकरण्ण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 है0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग'2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2018–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016 के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा स्वीकार की जाती है।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मथुरा।

संलग्नक–07

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

फ्लोरा/फोना (वन्य जीव) के सरंक्षण करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 08 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा फ्लोरा/फोना (वन्य जीव) को कोई भी क्षति नहीं पहुचायी जायेगी, एवं सरंक्षण हेतु प्रयास किये जायगें।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–08

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० मथुरा

प्रत्यावर्तित वन भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग न करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 09 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का सडक निर्माण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Pro. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–09

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

वन सम्पदा को क्षति न पहुचाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 10 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा)/ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार से वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

वन भूमि की आवश्यकता न होने पर वापिस करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 11 के क्रम में अवगत कराना है, कि प्रस्तावित भूमि सडक निर्माण हेतु ली जा रही है। जिसको भविष्य में वापिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपरान्त भी वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता न होने पर वन विभाग को शासकीय नियमों के अन्तर्गत यथास्थिति वापिस कर दिया जायेगा।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–11

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

पर्यावरणीय अनापत्ति तथा स्टैंडिम कमेटी ऑफ नेशनल वोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रमाण–पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 12 के क्रम में सादर अवगत कराना है कि परियोजना हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति तथा स्टैंडिम कमेटी ऑफ नेशनल वोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरान्त भी वचनबद्धता दी जाती है कि वन विभाग द्वारा उपरोक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाता है तो याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–12

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेर्शों/शर्तों का अनुपालन करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 13 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रत्यावर्तित वन भूमि के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लखनऊ तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेर्शों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

15/5/20

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–13

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 15 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढोत्तरी होती है तो याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा बढी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

15/5/20

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Dn. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–14

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

सेन्चुरी/नेशनल पार्क के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 16 के क्रम में अवगत कराना है, कि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है। तदोपरान्त भी वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रत्यावर्तित वन भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यकता पडने पर मा0 उच्चतम न्यायालय से वांछित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–15

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016 के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 17 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रत्यावर्तित वन भूमि पर समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–16

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 18 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–17

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दि0 13.02.2014 का अनुपालन करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 19 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रत्यावर्तित वन भूमि पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 13.02.2014 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. P.W.D.
Mathura

संलग्नक—18

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

वृक्षों का पातन उ0प्र0 वन निगम से कराने एवं वन निगम को पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु भुगतान करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण—पत्र

जनपद मथुरा में कोसी—नन्दगांव—बरसाना—गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग—2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0—142/14—2—2016—800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 21 के क्रम में वचनबद्धता दी जाती है कि याचक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मथुरा) द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रत्यावर्तित वन भूमि पर स्थित वृक्षों के पातन हेतु उ0प्र0 वन निगम को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

SANASVIR
Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–19

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

अगले पॉच वर्ष के भीतर मार्ग का विस्तार/सुदृढीकरण न करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 23 के क्रम में वचनबद्वता दी जाती है, कि विषयगत मार्ग का विस्तार, "जिससे पुनः वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति आवश्यक हो" नहीं किया जायेगा। मार्ग के सुदृढीकरण के अन्तर्गत वर्तमान लेपित सतह की मरम्मत ही की जाती है, जिससे जनमानस को सुविधाजनक आवागमन उपलब्ध हो सके। मार्ग के सुदृढीकरण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है।

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura

संलग्नक–20

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 मथुरा

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति जारी करने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

जनपद मथुरा में कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग से कोकिला वन तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 0.9537 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 22 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक पी0–142/14–2–2016–800(138)/2016 दिनांक 14.10.2016. के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 24 के क्रम में सादर अवगत कराना है कि याचक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। सहमति के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति जारी की जाये।

15/2/20

(सनसवीर)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
मथुरा।

Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Mathura